



सत्यमेव जयते



डॉ. एस.एस. सामंत, निदेशक
Dr. S.S. Samant, DSc,
FNASc, FSE
Director

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान HIMALAYAN FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
(Indian Council of Forestry Research & Education)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India)

संख्या/No.:05 -1(26)/हि.व.अ.सं/2020 / 1978

दिनांक/ Date: 11 दिसंबर, 2020

कार्यालयादेश/Office order -134

सर्वज्ञ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 03(03) के अनुसार संविदा, सामान्य आदेश, प्रैस विज्ञप्ति (विस्तार के लिए कृपया संलग्न दस्तावेज का अनुसरण करें) जैसे अन्य दस्तावेजों का द्विभाषी अर्थात् -'हिंदी व अंग्रेजी' दोनों संस्करणों में उपलब्ध होना एक अनिवार्य प्रावधान है। धारा 03 (03) का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उल्लंघन राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों को आहूत कर सकता है।

We all are cognizant of Article 03(03) of Official Language Act 1963 which mandates bilingual disposal of certain documents such as- Agreements, General Orders, and Press Communiqué, etc. (document attached for comprehension). Any explicit or implicit violation of Article 03(03) might invoke punitive provisions provided within the act.

उपरोक्त अधिनियम के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह अनुभव किया गया है कि केवल सामान्य आदेशों को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेजों विशेषकर संविदाओं, समझौता ज्ञापनों आदि के द्विभाषी निस्तारण में सतत असावधानी बरती जा रही है जो कि नियम के प्रतिकूल है। इस संबंध में संस्थान के सभी पदाधिकारियों को पुनः यह परामर्श दिया जाता है कि वे धारा 03(03) के अंतर्गत विभिन्न दस्तावेजों के द्विभाषी निस्तारण को लेकर अतिरिक्त सजगता व सावधानी का परिचय दें क्योंकि धारा 03 (03) के अंतर्गत निर्गमित सभी दस्तावेजों में अंतिम दायित्व हस्ताक्षर करने वाले का होता है।

In reference to the article 03(03), the undersigned has observed that barring general orders being the only exception, all other documents such as Agreements, MOUs, etc. are not being done bilingually, which is non-exemplary and in contravention to the spirit of article 03(03). In this context, all Officers/In-charge are advised to remain meticulous about bilingual disposal of all documents subsumed within article 03(03) because the ultimate onus lies on the signing authority itself.

Sher Singh Samant
08/12/2020

डॉ. शेर सिंह सामंत, निदेशक

Dr. Sher Singh Samant, Director

संलग्न/Enclosed : अनुलग्नक-01/Annexure-01

कोनिफर कैम्पस, पंथाघाटी, शिमला-171 013, हिमाचल प्रदेश
Conifer Campus, Panthaghati, SHIMLA-171 013, Himachal Pradesh

ई-मेल/ E-Mail: dir_hfri@icfre.org
दूरभाष/Phone: 0177-2626778,

FAX/ फ़ैक्स: 0177-2626779,

वेबसाइट/ Website: http://hfri.icfre.gov.in
ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX: 0177-2816100